"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जुलाई 2016—श्रावण 7, शक 1938

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

क्रमांक ई 1-1/2016/एक/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1986) प्रबंध संचालक सह अध्यक्ष सह छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश पर्यन्त प्रमुख सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग के पद पर पदस्थ करता है.

श्री अजय पाल सिंह, भा.प्र.से. (1936) द्वारा प्रमुख सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्री के. आर. पिस्दा, भा.प्र.से. (1996), सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, जन शिकायत निवारण विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त, आयुक्त, भू-अभिलेख रायपुर तथा पदेन सचिव, वित्त विभाग (पेंशन निराकरण समिति के कार्य हेतु) को केवल सचिव, जन शिकायत निवारण विभाग के प्रभार से मुक्त करता है तथा शेष प्रभार यथावत् रहेंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.

2. श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) संयुक्त सचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, प्रबंध संचालक, छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड को प्रबंध संचालक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के पद पर पदस्थ करते हुए प्रबंध संचालक, छ.ग. माटी कला बोर्ड, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

श्री आलोक अवस्थी, भा.प्र.से. (2002) द्वारा प्रबंध संचालक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड का पदभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रबंध संचालक छ.ग. हस्तशिल्प विकास बोर्ड के असंवर्गीय पद को राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत् प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में, भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक ढाँड, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6499/1350/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री द्रोणाचार्य तिवारी को फास्ट ट्रैक कोर्ट, कबीरधाम में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट, कबीरधाम में शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6502/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री नूतन कुमार साहू, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, महासमुंद तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक महासमुंद के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6505/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री संजय गिरी, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, महासमुंद तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक महासमुंद के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक 6507/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्री दीपक कुमार बजाज, अधिवक्ता को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक, कोरबा तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए शासन की ओर से पैरवी करने के लिए अतिरिक्त लोक अभियोजक कोरबा के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा पर (या 62 वर्ष जो भी पहले हो) नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्रमांक 6529/1012/21-ब/छ.ग./2016.—राज्य शासन, एतद्द्वारा अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक/अतिरिक्त लोक अभियोजक, रायगढ़ के पद पर नियुक्त श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता, जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शासन की ओर से पैरवी करने के लिए दिनांक 21-11-2015 से पुनः तीन वर्ष की कालावधि या 62 वर्ष जो भी पहले हो, के लिए अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक नियुक्त करता है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उसी अवधि के लिए उन्हें अतिरिक्त लोक अभियोजक भी नियुक्त करता है. उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी. उनकी सेवा की अन्य शर्तें छ.ग. विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

उक्त संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014-न्याय प्रशासन, 114-कानूनी सलाहकार और परिषद्, 3572 - मुफस्सिल स्थापना, 10-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, 008-शासकीय अभिभाषकों को फीस मद के अन्तर्गत प्रभारित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार होता, अतिरिक्त सचिव.

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 3-84/2015/गृह-दो.—मैदानी गोला बारूद तोप अभ्यास अधिनियम 1983 के अध्याय II की धारा 9 (1, 2, 3, 4) में निहित प्रावधान के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा केन्द्रीय सशस्त्र/राज्य पुलिस बल के जवानों को प्रशिक्षण के दौरान फायरिंग अभ्यास हेतु ग्राम-सुकमा, प.ह.नं. 13 सुकमा, राजस्व निरीक्षक मण्डल सुकमा, तहसील सुकमा, जिला सुकमा में स्थित भूमि खसरा नं. 23, रकबा 5.150 हेक्टेयर/12.63 एकड़ भूमि जो शासकीय अभिलेखों में पुलिस विभाग पुलिस अधीक्षक सुकमा के नाम पर मालिकाना हक पर दर्ज है. उक्त भूमि में 40×200 मीटर भूमि फायरिंग रेंज हेतु अधिसूचित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 7-11/2015/गृह-दो/भापुसे.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री सुन्दरराज पी., भापुसे, पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव को दिनांक 30-05-2016 से 10-06-2016 तक कुल 12 दिवस का अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए दिनांक 29-05-2016 एवं दिनांक 11, 12-06-2016 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की कार्योत्तर अनुमति प्रदान करता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सुन्दरराज पी. आगामी आदेश तक पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री सुन्दरराज पी. को अवकाश वेतन भत्ते एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश में जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुन्दरराज पी., भापुसे अवकाश पर नहीं जाते, तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री सुन्दरराज पी., भापुसे, पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ के उक्त अवकाश अवधि में पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव का अतिरिक्त प्रभार श्री शशिमोहन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ को उनके वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से सौंपे जाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव.

कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 12 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 1-60/2014/तक.शि./42.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 14-06-2016 में उनके नाम के समक्ष कॉलम क्रमांक 6 में दर्शित पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते हुए कॉलम 7 में दर्शित संस्था में अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ करता है :—

क्र.	जारी आदेश का सरल क्र.	लो.से.आ. की प्रवीण्यता सूची क्र.	चयनित व्याख्याता का नाम	विषय	पदस्थापना का स्थान	संशोधित पदस्थापना का स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	08	04	हेमलता लहरे	माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट	शास. कन्या पॉलीटेक्निक जगदलपुर.	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक राजनांदगांव.
2.	09	05	सुषमा देवांगन	माडर्न ऑफिस मेनेजमेंट	शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक राजनांदगांव.	शास. कन्या पॉलीटेक्निक जगदलपुर.
3.	13	03	सविता ठाकुर	कॉस्ट्यूम डिजाईन मेनेजमेंट	शासकीय कन्या पॉली. जगदलपुर.	शास. कन्या पॉलीटेक्निक राजनांदगांव.

2. शेष जारी आदेश एवं शर्तें यथावत रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीलकंठ टीकाम, उप-सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 1-08/2016/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्द्वारा, श्री राजेश कुमार चंदेले, (भा.व.से. 2004) वन मंडलाधिकारी, सुकमा वन मंडल, सुकमा को वन प्रबंधन, सूचना प्रणाली वन मंडल रायपुर, में संलग्न करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, प्रमुख सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2016

क्रमांक एफ 2-01/2011/नौ/55-तीन.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ होम्योपैथी परिषद् अधिनियम, 1976 (क्रमांक 19 सन् 1976) की धारा 49 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, राज्य होम्योपैथी परिषद् छत्तीसगढ़ के परामर्श से, उक्त अधिनियम की सूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में :—

(1) अनुसूची के सरल क्रमांक 32 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :—

	1	2	3	4
"33.	छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रायपुर.	बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी	बी.एच.एम.एस.	2014 से आगे"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 जून 2016

क्रमांक एफ 2-01/2011/नौ/55-तीन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-06-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 29th June 2016

No. F 2-01/2011/9/55-3.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 49 of the Chhattisgarh Homoeopathy Parishad Adhiniyam, 1976 (No. 19 of 1976), the State Government, in consultation with the State Council of Homoeopathy, Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Schedule of the said Act, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said Act :—

(1) After Serial Number 32 and entries relating thereto of the Schedule, the following shall be added, namely :—

	1	2	3	4
"33.	Ayush and Health Science University Chhattisgarh, Raipur	Bachelor of Homoeopathic Medicine and Surgery	B.H.M.S.	From 2014 onwards"

By order and in name of the Governor of Chhattisgarh,
ALOK AWASTHI, Joint Secretary.

सहकारिता विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जुलाई 2016

संशोधन

क्रमांक/एफ 15-8/15-2/2015/1690.—राज्य शासन एतद्द्वारा, विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक/एफ 15-8/15-2/2015/1336 दिनांक 26-05-2016 द्वारा कृषकों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम, 2014 की कंडिका-3 (सात) एवं (आठ) का नवीन प्रतिस्थापन किया गया है, जो निम्नानुसार है :—

"(सात) नियम 02 (सात) में वर्णित अल्पकालीन कृषि ऋणों पर कृषकों को अधिकतम रुपये 3.00 लाख की सीमा तक ही ब्याज अनुदान की पात्रता होगी.

(आठ) नियम 02 (सात) में वर्णित उन अल्पकालीन ऋणों पर, सिंचित क्षेत्रों में ली जाने वाली फसलों हेतु अधिकतम रुपये 25,000 प्रति हेक्टेयर की दर से (ऋणमान) एवं असिंचित क्षेत्रों में ली जाने वाली फसलों हेतु अधिकतम रुपये 20,000 प्रति हेक्टेयर की दर से (ऋणमान) वितरित ऋणों पर ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा प्रदाय किया जायेगा.

वास्तविक ऋण वितरण, उपरोक्तानुसार निर्धारित ऋणमान से अधिक होने की स्थिति में निर्धारित प्रति हेक्टेयर सीमा (ऋणमान) तक ही ब्याज अनुदान की पात्रता होगी, सीमा (ऋणमान) से अधिक ऋण पर ब्याज अनुदान की पात्रता नहीं होगी."

कृषकों के सहकारी ऋणों पर ब्याज अनुदान नियम, 2014 में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 26-05-2016 द्वारा प्रतिस्थापित उक्त प्रावधान को आगामी आदेश तक स्थगित रखा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. सर्पराज, उप-सचिव.

वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 06-49/2014/वा.क. (पंजी)/पांच.—राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा वर्ष 2014 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में जिला पंजीयक के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थी को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, दो वर्ष की परिवीक्षा पर जिला पंजीयक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैण्ड रुपये 15600-39100, ग्रेड वेतन रुपये 5400/- में अनन्तिम (Provisional) रूप से नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना जिला पंजीयक के रूप में उनके नाम के सम्मुख कॉलम-5 में दर्शाये जिले में की जाती है :—

स. क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का सरल क्रमांक	अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम एवं वर्तमान डाक का पता	श्रेणी	प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापना का जिला अर्थात् जहां से वेतन आहरित होगा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	6 (1)	श्री विनोज कुमार कोचे पिता-श्री देवलाल कोचे, ग्राम-मुसरा खुर्द, पो.-मुसरा कला, तहसील-डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव छत्तीसगढ़, पिन-491445.	अ.जा.	जिला पंजीयक जशपुर (छ.ग.)

2. (a) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी द्वारा उसकी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वत: छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर इस विभाग को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना इस विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी.

   (b) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गए सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियां अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध करायेगा.

3. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ.ग. प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर में देकर प्रशिक्षण प्राप्त करेगा.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहित प्रशिक्षण, महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी, निमोरा, रायपुर (छ.ग.) में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी में आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित होकर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

5. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा, इसके उपरांत भी विहित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर सेवायें तत्काल समाप्त की जायेगी.

6. अभ्यर्थी को निर्धारित मापदंड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी करवाया जायेगा. यदि पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

7. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ पंजीयन एवं मुद्रांक (राजपत्रित) सेवा वर्ग-2 के प्रावधानों के तहत् शासित होगा.

8. उपरोक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है. अतः अभ्यर्थी राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टीफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेगा. बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा, तथा किये गये कार्य अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

9. उपरोक्त अभ्यर्थी को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छ.ग. रायपुर के समक्ष मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

10. जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र के पूर्ण सत्यापन के उपरांत ही संबंधित अधिकारी की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किए जाने पर विचार किया जाएगा.

11. चयनित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

12. चयनित आवेदक की परस्पर वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई चयन सूची के अनुसार ही निर्धारित रहेगी.

13. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मरियानुस तिग्गा, अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 46/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	करवा प.ह.नं. 04	1.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड (छ.ग.).	उपका व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 47/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	दारसागर प.ह.नं. 16	5.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	रतखण्डी व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत डूबान क्षेत्र निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 मई 2016

क्रमांक 48/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	उपका प.ह.नं. 03	1.19	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	उपका व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 मई 2016

क्रमांक 16/अ-82/2011-12/777.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	भरारी प.ह.नं. 49	5.80	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	भरारी व्यपवर्तन योजना के शीर्ष कार्य एवं मुख्य नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), मस्तूरी, जिला बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक 50/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	नवागांव प.ह.नं. 07	1.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आमापारा व्यपवर्तन के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 27 मई 2016

क्रमांक 51/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	पोड़ी प.ह.नं. 07	3.37	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	आमापारा व्यपवर्तन के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2016

क्रमांक 53/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	सिलदहा प.ह.नं. 39	9.64	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	काल्हामार व्यपवर्तन के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 30 मई 2016

क्रमांक 54/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	कोटा	कलमीटार प.ह.नं. 36	1.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, पेण्ड्रारोड.	काल्हामार व्यपवर्तन के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 6 जून 2016

क्रमांक 08 अ/82 वर्ष 2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार-भाटापारा	बलौदाबाजार	परसाभदेर प.ह.नं. 10	6.851	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग संभाग, बलौदाबाजार जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.).	बलौदाबाजार-बायपास मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसवराजु एस., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	मोहदा प.ह.नं. 16	2.981	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	नवापारा प.ह.नं. 26	5.713	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 06/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	सुल्ताननार प.ह.नं. 26	3.598	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	बछौद प.ह.नं. 26	2.860	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 08/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	ढ़ोरला प.ह.नं. 25	2.122	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 09/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	चंदनिया प.ह.नं. 02	2.928	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक 10/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	पिपरदा प.ह.नं. 02	2.830	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.).	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारती दासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बिलासपुर, दिनांक 26 मई 2016

क्रमांक 38/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-उमरीया दादर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.148 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	245/1	0.012
	245/2, 247/2	0.072
	247/3	0.032
	247/1	0.032
योग		0.148

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रैनकोटा व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

कबीरधाम, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक/02/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-अमेरा, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.708 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
20/2	0.182
21/2	0.093
21/3	0.093
28/2	0.085
28/1	0.085
26/2	0.085
26/1	0.085
योग	0.708

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक/03/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-सोनतरा, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.972 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
105/3	0.231
96/1	0.089
94	0.348
96/2	0.304
योग	0.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक/04/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-बोदा-03, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.675 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
59	0.186
52	0.210
51/1	0.186
39/2	0.093
योग	0.675

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक/05/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-दुल्लापुर, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.354 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
51/3	0.182
51/1	0.190
59/2	0.255
59/1	0.190
60/2	0.409
61/2	0.162
79/1	0.247
78/2	0.328
84/1	0.036
85/2	0.097
85/9	0.040
85/6	0.040
85/3	0.113
85/1	0.138
85/8	0.085
85/4	0.073
92/2	0.206
92/3	0.170
93/2	0.142
93/4	0.130
2/2	0.186
2/1	0.316
8	0.154
9/2	0.186
9/1	0.117
9/3	0.024
14	0.138
योग	4.354

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मगरवाड़ा व्यपवर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक/06/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-मगरवाड़ा, प.ह.नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.672 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6/13	0.344
29/5	0.097
6/9	0.077
6/3	0.299
40/1	0.129
6/4	0.299
7/1	0.162
7/9	0.186
7/10	0.336
43/13	0.081
10/19	0.299
10/13, 11/1	0.320
13/10	0.259
13/7	0.093
20/5	0.162
20/10, 20/19, 20/12	0.356
28/2	0.130
43/10	0.324
40/10	0.138
43/15	0.085
43/12 ख	0.065
43/16	0.076
43/2 क	0.113
43/2 ख	0.113
43/14	0.093
73/16	0.490
73/17	0.425
73/1 क	0.425
73/6	0.210
73/5	0.069
73/2	0.210
72/13	0.138
70/2, 71/2	0.069
योग	6.672

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मगरवाड़ा व्याप-वर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 25 जून 2016

क्रमांक/07/अ-82/2015-16.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम
- (ख) तहसील-बोड़ला
- (ग) नगर/ग्राम-सिली, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.615 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
16	0.336
17/4	0.194
17/2	0.085
योग	0.615

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मगरवाड़ा व्याप-वर्तन योजनांतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बोड़ला के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 14 जून 2016

रा.प्र.क्र. 02/अ-82/2014-15.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-सूरजपुर
- (ख) तहसील-प्रेमनगर
- (ग) नगर/ग्राम-बलदेवनगर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.20 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	30	1.20
योग		1.20

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बांगो बांध हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. चुरेन्द्र, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 1 जुलाई 2016

संशोधन

क्रमांक/10626/अ-82/2015-16.—भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 113/अ-82/2014-15 जांजगीर-चांपा दिनांक 22-03-2016 में लिपिकीय त्रुटिवश अनुसूची में वर्णित भूमि, जो अधिसूचना जारी दिनांक 22-03-2016 के सूची में अंकित नहीं है, जबकि अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि के योग में सम्मिलित है. अत: उक्त खसरा नं. से भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, समझा जावे.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-नवापारा, प.ह.नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.404 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	322/1	0.045
	322/2	0.024
	322/3	0.020
	381	1.068
	382	0.202
	383/1	0.045
योग	6	1.404

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डभरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. भारतीदासन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 जून 2016

क्रमांक/726/न.ग्रा.नि.—एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि शिवरीनारायण निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उसकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, जिला-जांजगीर-चांपा, नगर पंचायत सभा कक्ष शिवरीनारायण एवं कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में दिनांक 13-06-2016 से कार्यालयीन दिवस एवं कार्यालयीन समय के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है.

अनुसूची

शिवरीनारायण निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम तुसमा, दुरपा तथा मुड़पार ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम दुरपा, मुड़पार तथा सिंघुल ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम सिंघुल, मुड़पार, दरपा, तुसमा, मोगहापारा तथा महंतपारा ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम महंतपारा, भोगहापारा तथा तुसमा ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किए गए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो, विनिर्दिष्ट स्थलों पर इस सूचना का छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवसों की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना होगा.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर प्राप्त होगा उसे सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जांजगीर-चांपा (छ.ग.) द्वारा विचार किया जावेगा.

बी. के. तिवारी,
सहायक संचालक.

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, बालोद (छ.ग.)

बालोद, दिनांक 22 जून 2016

क्रमांक 539/नग्रानि/वि.यो./डौण्डी/2016.—छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट डौण्डी निवेश क्षेत्र की भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर तदनुसार सम्यक् रूप से अंगीकृत किए जाते हैं एवं उक्त अधिनियम की धारा 15(4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही हैं, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है :—

अनुसूची

डौण्डी निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में : ग्राम खैरवाही, औराटोला, डौण्डी (ग्राम उकारी, न.पं. डौण्डी में शामिल) एवं गंगोलीडीह ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में : ग्राम गंगोलीडीह, कांडे एवं अवारी ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में : ग्राम अवारी एवं छिंदगांव ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में : ग्राम छिंदगांव, बेलरगोंदी उर्फ सल्हाईटोला एवं खैरवाही ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल - कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद.

No. 539/T&CP/D.P./Dondi/2016.—Notice is hereby given for the general information of the public that existing land use map & register of Dondi planning area so prepared under published are duly adopted by the Assistant Director, Town & Country Planning under the provision of sub-section (3) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in Chhattisgarh Gazette under the provision of sub section (4) of section 15 of the said adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps & register have been duly prepared and adopted on publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

SCHEDULE

Limits of Dondi Planning Area

NORTH	:	Village Khairwahi, Auratola, Dondi (Vill. Ukari included in Nagar Panchayat Dondi) village Gangolidih up to North Boundary.
EAST	:	Village Gangolidih, Kande village Awari up to East Boundary.
SOUTH	:	Village Awari village Chhindgaon up to South Boundary.
WEST	:	Village Chhindgaon, Belargondi (Salhaitola) village Khairwahi up to West Boundary.

The said adopted map & register shall be available for inspection of general public at following place during office hours for the period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette.

Place of Inspection :— Office of the Assistant Director, Town & Country Planning, Balod.

बी. एल. बांधे,
सहायक संचालक.

कार्यालय, उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 13 जुलाई 2016

क्रमांक 873/नग्रानि/2016.— एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि घरघोड़ा निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है, उसकी एक-एक प्रति कलेक्टर जिला रायगढ़, कार्यालय नगर पंचायत घरघोड़ा तथा कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़ के कार्यालयों में दिनांक 13-07-2016 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है, घरघोड़ा निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

घरघोड़ा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम छीरभौना, टेरम एवं कोगनारा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम कोगनारा, कन्सैया, घरघोड़ा एवं नवापारा ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम नवापारा एवं घरघोड़ा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम घरघोड़ा, कन्चनपुर एवं छीरभौना ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

इस प्रकार तैयार किए गए अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश रायगढ़ (छ.ग.) को या निरीक्षण स्थल पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो तो उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायगढ़ द्वारा विचार किया जावेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पंचायत घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

No. 873/TCP/2016.—Notice is hereby given that the existing land use maps and register in Gharghora planning area has been prepared under sub-section (i) of section 15 (1) of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection from 13-07-2016 During office house in the office of Collector Raigarh, Nagar Panchayat Gharghora and Deputy Director, Town & Country Planning Raigarh. The limit of the Gharghora Planning Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Limit of Gharghora Planning Area

NORTH	:	Village Chhirbhouna, Teram and up to the Northern Limit Village of Kognara.
EAST	:	Village Kognara, Kansaiya, Gharghora and up to the Eastern Limit Village of Nawapara.
SOUTH	:	Village Nawapara and up to the Southern Limit Village of Gharghora.
WEST	:	Village Gharghora, Kanchanpur and up to Western Limit Village of Chhirbhouna.

If there by any objection or suggestion with respect to the existing land use map so prepared it should be sent in writing to the Deputy Director, Town & Country Planning, Raigarh C.G. or Inspection site within a period of Thirty Days from the that date of publication of the Notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said existing land use map before the period specified above will be considered by the Dy. Director Town & Country Planning Raigarh.

Inspection Site :— Office of the Nagar Panchayat, Gharghora, Dist.-Raigarh (C.G.)

आर. एन. प्रसाद,
उप-संचालक.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 28 जून 2016

क्रमांक 9835/न.ग्रा.नि./2016.— छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अनुसरण में तिल्दा-नेवरा निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर का प्रकाशन सूचना क्रमांक /16247/नग्रानि/2015 रायपुर दिनांक 08 अक्टूबर 2015, छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16 अक्टूबर 2015 द्वारा प्रकाशित किया गया था.

अत: एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट तिल्दा-नेवरा निवेश क्षेत्र के ग्रामों की भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है, एवं इस सूचना की प्रति अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र एवं रजिस्टर सम्यक् रूप से तैयार कर अंगीकृत कर लिया गया है.

अनुसूची

तिल्दा-नेवरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम बिलाड़ी तथा खपरीकला ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम टंडवा, भुरसुदा, परसदा तथा बिलाड़ी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम सिरवे, बहेसर, कुन्दरू तथा टंडवा ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम खपरीकला, सिनोधा, नेवरा, कोहका तथा सिरवे ग्राम की पूर्वी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थान पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिनों को छोड़कर अवलोकन के लिए उपलब्ध रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— कार्यालय नगर पालिका परिषद्, तिल्दा-नेवरा, रायपुर (छ.ग.)

No./9835/T&CP/2016.—The existing land use map and register of Tilda-Newara Planning Area was published in pursuance of sub section (1) of Section 15 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) vide Notice No. 16247/T & CP/2015, Raipur dated 8 October 2015, in "Chhattisgarh Gazette" dated 16 October 2015.

Therefore a notice is hereby given for the general information of the public that the existing land use map and register of village of Tilda-Newara Planning Area so prepared under published are duly adopted by the Director, Town & Country Planning in pursuance of sub-section (3) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" under sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam, which shall be conclusive evidence of the fact that the above map and register have been duly prepared and adopted.

SCHEDULE

Tilda-Newara Planning Area Limits

NORTH	:	Village Biladi and upto the Northern limit of Khapari Kalan Village.
WEST	:	Village Tandwa, Bhursuda, Parsada and upto the Western limit of Biladi Village.
SOUTH	:	Village Sirwe, Bahesar, Kundru and upto the Southern limit of Tandwa Village.
EAST	:	Village Khapari Kalan, Sinodha, Newara, Kohka and upto the Eastern limit of Sirwe Village.

The said adopted map and register shall be available for inspection of general public at following place during office hours, except holidays for the period of 15 days from the publication of the notice in "Chhattisgarh Gazette".

Inspection Site :— Office of the Nagar Palika Parishad, Tilda-Newara, Raipur (C.G.)

विनीत नायर
संयुक्त संचालक.

छ.ग.माटीकला बोर्ड
मकान नं. 07, कैलाश रेसीडेन्सी गीतांजली नगर रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जुलाई 2016

संदर्भ :— आदेश क्रमांक ई 1-1/2016/एक/2 नया रायपुर दिनांक 01-07-2016

क्रमांक/मा.क.बो./2016-17/264.—संदर्भित आदेशानुसार मेरी पदस्थापना छ.ग. माटीकला बोर्ड में प्रबंध संचालक के पद पर किया गया है. उक्त आदेश के परिपालन में मेरे द्वारा प्रबंध संचालक के पद पर आज दिनांक 04-07-2016 को पूर्वान्ह में पदभार ग्रहण कर लिया गया है.

कृपया भविष्य में किये जाने वाले समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय पत्राचार अधोहस्ताक्षरकर्ता के नाम से करने का कष्ट करें.

आलोक अवस्थी,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जून 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2136.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32 (2)/भा.अधि./2016-17/1509-1510 रायपुर दिनांक 31-05-2016 द्वारा श्री ए. आर. टण्डन, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को, कृषि उपज मण्डी समिति मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कार्यालय कलेक्टर, जिला-मुंगेली के ज्ञापन क्रमांक 3172/वलि/2016 दिनांक 15-06-2016 द्वारा श्री पी. आर. निर्मल अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को भारसाधक अधिकारी नियुक्ति का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री ए.आर.टण्डन अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली, के स्थान पर श्री पी. आर. निर्मल, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मुंगेली को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति, मुंगेली का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 जून 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2314.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/4050-4051 रायपुर दिनांक 29-10-2014 द्वारा श्री एम. आर. चेलक, डिप्टी कलेक्टर, नारायणपुर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर, जिला-नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला नारायणपुर के पत्र क्र./स्था./भार.अधि./2016-17/1515 दिनांक 27-06-2016 द्वारा श्री एस. एन. बाजपेयी डिप्टी कलेक्टर को कृषि उपज मंडी समिति नारायणपुर के लिए भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने की अनुशंसा किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री एम.आर.चेलक डिप्टी कलेक्टर नारायणपुर का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री एस.एन. बाजपेयी डिप्टी कलेक्टर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नारायणपुर जिला नारायणपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2515.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2015-16/202-203 रायपुर दिनांक 09-04-2015 द्वारा श्रीमती चन्द्रकांता ध्रुव , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती को कृषि उपज मंडी समिति आमनदुला, जिला-जांजगीर-चांपा भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय, कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा ज्ञापन क्रमांक 10140/स्थापना/2016 जांजगीर दिनांक 25-06-2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री ए. के. लकड़ा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्रीमती चन्द्रकांता ध्रुव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सक्ती के स्थान पर श्री ए. के. लकड़ा अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्ती को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति आमनदुला जिला जांजगीर-चांपा का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 8 जुलाई 2016

क्रमांक/बी-8/32(2)/भा.अधि./2016-17/2517.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2013-14/2976-77 रायपुर दिनांक 30-07-2013 द्वारा ए. आर. खान, तहसीलदार, जैजेपुर को कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कार्यालय, कलेक्टर जांजगीर-चांपा द्वारा ज्ञापन क्रमांक 10140/स्थापना/2016 जांजगीर दिनांक 25-06-2016 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति जैजेपुर में भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने हेतु श्री बी. आर. बाकरे, नायब तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार जैजेपुर का नाम प्रस्तावित किया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री ए. आर. खान तहसीलदार जैजेपुर के स्थान पर श्री बी. आर. बाकरे, नायब तहसीलदार प्रभारी तहसीलदार जैजेपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति जैजेपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

नरेन्द्र कुमार शुक्ल,
प्रबंध संचालक.

कार्यालय, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर
खण्ड-3, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 जुलाई 2016

क्रमांक 21 प्रवर्तन/श्र.आ./2016/241.—मैं अविनाश चम्पावत, श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभागीय आदेश 473/7258/16, दिनांक 24 जनवरी 1961 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 (क्रमांक 25 सन्

1958) की धारा 40 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक-2 में दर्शाये गये व्यक्तियों को सारिणी के स्तम्भ क्रमांक-3 में दर्शाये गये स्थानीय क्षेत्रों के लिये "निरीक्षक" नियुक्त करता हूं :—

क्र. (1)	नाम (2)	अधिकार क्षेत्र (3)
1.	कु. नचिकेता तिवारी	संपूर्ण राज्य में सभी स्थानीय क्षेत्रों एवं सभी प्रकार के संस्थानों के लिए जिन पर यह अधिनियम लागू होता है.
2.	श्री सियाराम पटेल	-तैदव-
3.	श्री मुकेश पुरी गोस्वामी	-तैदव-
4.	श्री सुरेश कुर्रे	-तैदव-
5.	श्री सोपान कर्णेवार	-तैदव-
6.	श्री अमित कुमार वरू	-तैदव-
7.	श्री विमल मिश्रा	-तैदव-
8.	श्री बसंत कुमार	-तैदव-
9.	श्री धनेन्द्र कुमार	-तैदव-
10.	श्री गिरजा शंकर	-तैदव-
11.	श्री पुष्पेश चन्द्र गोस्वामी	-तैदव-
12.	श्री मनोज कुमार मांडलेश्वर	-तैदव-
13.	श्री मनीष कुमार संभाकर	-तैदव-
14.	श्रद्धा वर्मा	-तैदव-
15.	गरिमा पाण्डेय	-तैदव-
16.	कु. निम्मी	-तैदव-
17.	कु. मोना माहेश्वरी	-तैदव-
18.	श्री हितेश कुमार ठाकुर	-तैदव-
19.	श्री ऐश्वर्य मंडावी	-तैदव-
20.	श्री मीनू नारायण सिंह	-तैदव-
21.	सरिता चन्द्रवंशी	-तैदव-

अविनाश चम्पावत,
श्रमायुक्त.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 4 July 2016

No. 445/Confdl./2016/II-2-1/2016.—The following member of Higher Judicial Service as specified in Column No. 2 of the table below, is transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted as District Judge from the date he assumes charge of his office and;

The following member of Higher Judicial Service is appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Jagdamba Rai, Special Judge under S.C. & S.T. (Prevention of Atrocities) Act.	Bilaspur	Dhamtari	Dhamtari	District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 11 July 2016

No. 5588/III-6-2/2007.—In exercise of the powers Conferred under clause (C) of sub-section (1) of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by specially empowers the following Judicial Magistrates First Class to try in a summary way all or any of the offences specified in the said Section :—

Sl. No.	Name of the Judicial Magistrate First Class	Present place of Posting	Civil District
1.	Dr. Sumit Kumar Soni, J.M.F.C., Jagdalpur.	Jagdalpur	Bastar at Jagdalpur
2.	Ku. Sweta, J.M.F.C., Chhuikhadan	Chhuikhadan	Rajnandgaon.

By order of the High Court,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar General.